कार्यालय अंचल अधिकारी, देवरी

केस संख्या :– 19/19-20

केस का प्रकार :– विविधवाद

आदेश की कम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
4.6.19	सुलेमान अंसारी पिता स्व0 दिल महम्मद मियां ग्राम गरंग के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर खाता न0 07 प्लॉट न0 617,617,614,588 रकवा क्रमशः 0.76,0.43,0.52,0.90 डी0 कुल 2.61 डी0 भूमि पर निवास कर रहे है । वर्तमान समय में (I)सरीफ मियां पिता ईब्राहिम मियां (II)दाउद मियां पिता सदीक मियां (III) नुरमोहम्मद मियां पिता सदीक मियां (IV)इदरिश मियां वो मकबुल मियां दोनो के पिता सदीक मियां के द्वारा बाजबरन कब्जा करने का उल्लेख किया गया है। प्राप्त पत्र के आलोक में राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दें। साथ ही पक्ष एवं विपक्ष को मूल राजस्व कागजात जमा करने हेतु नोटिश निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 14.6.19 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, देवरी।	नोटिस हेतु प्राप्त 14/06/19
14.6.19	अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में उपस्थित हैं। अन्य कार्य में व्यस्त अभिलेख दिनांक 8.7.19 को उपस्थापित करें। अं०अ०	
8/7/19	अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों अनुपस्थित अभिलेख दिनांक 18/7/2019 को उपस्थापित करें। अं०अ०	c.c. issued
18/7/19	अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों उपस्थित हैं।	c.c. issued

आवश्यक है। पुनः रिपोर्ट करें। अभिलेख दिनांक 16/8/2019 को उपस्थापित करें।

[illegible]

16/8/19 अभिलेख उपस्थापित किया गया। इसका कार्यवाही का आज प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। अवलोकन किया। अभिलेख दिनांक 25/9/19 को उपस्थापित करें।

[illegible]

25/9/19 अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों सामान्य से अनुपस्थित हैं। अन्य कार्य से व्यस्त अभिलेख दिनांक 8/10/19 को उपस्थापित करें।

[illegible]

8/10/19 अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अनुपस्थित हैं। अन्य कार्य से व्यस्त अभिलेख दिनांक 8/11/2019 को प्रस्तुत करें।

[illegible]

18.11.19 - अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। आदेश पर रखें।

18.11.19

कार्यालय : अंचल अधिकार, देवरी (जिरिडीह)

आदेश

विविधवाद सं० - 19/2019-20

सुलेमान अंसारी

बनाम

सदीक मियां एवं अन्य

विवादित भूमि की विवरणी :- मौजा - डारंग के खाता सं० 07, प्लॉट सं० 617, 617, 614, 588 रकबा क्रमशः 0.75, 0.43, 0.52 तथा 0.90 एकड़ कुल 2.61 एकड़

प्रथम पक्ष सुलेमान अंसारी का दावा है कि प्रश्नगत विवादित भूमि उनके दादा अब्दुल मियां वल्द अनूप मियां को हुकुमनामा से प्राप्त है तथा सरकारी रसीद वर्ष 1955-56 से निर्गत होता आ रहा है। साक्ष्य के रूप में प्रथम पक्ष के द्वारा दादा हुकुमनामा अब्दुल मियां के नाम, क्षतिपूर्ति अभिलेख सं० 57/1957-58 की छायाप्रति, जमींदारी रसीद बनाम अब्दुल मियां, सरकारी रसीद वर्ष 1955-56, वर्ष 1957, वर्ष 1964-65, वर्ष 1997-98 एवं वर्ष 2006-07 का निर्गत रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष के सदीक मियां एवं अन्य के द्वारा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष के दूर मोहम्मद लिखित अभिकथन किया है कि विवादित भूमि उनके परदादा अनूप मियां के नाम से हासिल है। साक्ष्य के रूप में अनुप मियां के नाम निर्गत रसीद सं० 198373 दिनांक 31.03.57, रसीद सं० 179555, रसीद सं० 83550 दिनांक 31.11.98, रसीद सं० ---- दिनांक 06.03.83 (अपठनीय) एवं रसीद सं० 001160 दिनांक 6.7.2017 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया।

राजस्व उपनिरीक्षक ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा - डारंग के पंजी II वर्ष 1971-72 में संधारित है के पृष्ठ सं० 02 पर अब्दुल मियां पिता अनुप मियां के नाम सं० 07/40 रकबा

गया है। विपक्षी नुर मोहम्मद के द्वारा प्रस्तुत रसीद अनुप मिर्धा के नाम निर्गत खाता सं० 07/40 रकबा 2.61 ए० जमाबंदी पंजी II में कायम नहीं है। स्थल जाँच में दोनों पक्ष अपने-अपने कागजात के आधार पर दखल का दावा करते हैं।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात तथा राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पंजी II में वर्ष 1971-72 से लगान रसीद निर्गत है, तब प्रथम पक्ष द्वारा 1955-56 से प्रस्तुत लगान रसीद संदेहास्पद प्रतित होता है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अनुप मिर्धा के नाम प्रस्तुत रसीद की जब जमाबन्दी ही कायम नहीं है तब रसीद किस आधार पर निर्गत होगा। इससे प्रथम दृष्टया प्रतित होता है कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद जाली है। साथ ही विवादित भूमि गैरमजरुआ खास है तथा किस्म- जंगल दर्ज है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि कार्यालय अभिलेख तथा सभी दस्तावेजों की गहन जाँच करते हुए भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4'H' के तहत जमाबंदी हेतु रसे / संदेहास्पद जमाबंदी का प्रस्ताव समर्पित करें।

अतः वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

18.11.2019
लेखापि एवं संशोधित
अंचल अधिकारी
देवरी।

18.11.2019
अंचल अधिकारी
देवरी।